

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की "विद्या परिषद्" की दिनांक 08.05.2024 को सम्पन्न हुई 19वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक दिनांक 08 मई 2024 पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय के पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल में मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नोक्त मा० सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे।

- (1) प्रो० ओंकार सिंह, मा० कुलपति, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून। –अध्यक्ष
- (2) डॉ० बी०के० सिंह, निदेशक, बी०आई०एस० भीमताल। –सदस्य
- (3) डॉ० प्रहलाद सिंह, निदेशक, शिवालिक कालेज देहरादून। –सदस्य
- (4) डॉ० वाई० एस० नेगी निदेशक, एस०आई०एच०एम० नई टिहरी। –सदस्य
- (5) डॉ० टी० पी० सिंह, प्रतिनिधि कुलपति, जी.बी.पी.यू.ए.टी.पन्तनगर। –सदस्य
- (7) डॉ० अमित अग्रवाल, निदेशक, आई०टी० गोपेश्वर। –विशेष आमंत्रित सदस्य
- (8) डॉ० अजीत सिंह, प्रभारी निदेशक, एन०पी०एस०आई०टी० पिथौरागढ़। –विशेष आमंत्रित सदस्य
- (9) डॉ० एच.एल. मंडोरिया, निदेशक, डॉ.ए.पी.जे.के.आई.टी. टनकपुर –विशेष आमंत्रित सदस्य
- (10) डॉ० एच.एस. भदौरिया, प्रभारी निदेशक, आई०टी० बौन उत्तराकाशी। –विशेष आमंत्रित सदस्य
- (11) डॉ०वी०के० पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय –आमंत्रित सदस्य
- (12) श्री बी.एस.जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय –आमंत्रित सदस्य
- (13) डॉ० विशाल रमोला, फ़ैकल्टी ऑफ़ टेक्नालोजी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय – आमंत्रित सदस्य
- (14) प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, –पदेन सचिव

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया एवं मा० कुलपति महोदय का अभार व्यक्त करते हुए कुलसचिव द्वारा मा० सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु सं०-19.01

विद्या परिषद् की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चय-

बैठक में सर्वसम्मति द्वारा विद्या परिषद् की 18 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-19.02

विद्या परिषद् की दिनांक 30 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न हुई 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।



विनिश्चय-

विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा विद्या परिषद की 18 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण किये कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं०-19.03-वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

विनिश्चय-

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक दिनांक 06 मई 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें लिये गये निर्णयों का विवरण मा० विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्तानुसार विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक के कार्यवृत्त एवं लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-1)

बिन्दु सं०-19.03-

विश्वविद्यालय द्वारा BCA (त्रिवर्षीय), BBA (त्रिवर्षीय) & LLM (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रमों की ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या निर्माण किये जाने के उद्देश्य से B.O.S. (Board of Studies) की दिनांक 06 मई 2024 को बैठक आयोजित की गई। B.O.S. द्वारा जारी कार्यवृत्त व पाठ्यचर्या की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव, मा० सदस्यों के सक्षम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा BCA (त्रिवर्षीय), BBA (त्रिवर्षीय) & LLM (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रमों के ऑर्डिनेन्स एवं पाठ्यचर्या निर्माण किये जाने के उद्देश्य से B.O.S. (Board of Studies) की बैठकों के स्तर से प्रस्तुत प्रस्तावों को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :-

- 1- Computer Science Engg. विभाग के अन्तर्गत BCA पाठ्यक्रम के ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या निर्माण किये जाने हेतु Computer Science Engg. विभाग के B.O.S. द्वारा BCA पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तुत ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-02)
- 2- Management विद्या के अन्तर्गत BBA पाठ्यक्रम के ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या निर्माण किये जाने हेतु Management विभाग के B.O.S. द्वारा BBA पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तुत ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-3)

3- LAW विधा के अन्तर्गत LLM (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम का ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या निर्माण किये जाने हेतु LAW विधा के B.O.S. द्वारा LLM पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तुत ऑर्डिनेन्स एवं नवीन पाठ्यचर्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-04)

बिन्दु सं0-19.04-

नरेन्द्रनगर में कैम्पस संस्थान के रूप में लॉ कालेज खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव मा0 परिषद् के सक्षम प्रस्तुत।

विनिश्चय-

नरेन्द्रनगर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में लॉ कालेज संचालित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पर मा0 विद्या परिषद द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इसे आगामी कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु सं0-19.05-

विश्वविद्यालय व कैम्पस संस्थानों में सत्र 2024-25 हेतु शिक्षकों की Short Term Engagement (अल्पकालीन) 11 माह हेतु पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित आधार पर रखे जाने की सूचना मा0 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय व परिसर संस्थानों में सत्र 2024-25 हेतु Assistant Professor- Short Term Engagement के आधार पर 11 माह के अवधि हेतु शिक्षकों की तैनाती 1:20 के शिक्षक, छात्र अनुपात (AICTE के मानक) पर स्ववित्त पोषित व्यवस्था के तहत ए0आई0सी0टी0ई0 एवं यू0जी0सी0, नई दिल्ली की व्यवस्था के अनुसार पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित आधार पर (Short Term Engagement) 11 माह की अवधि हेतु रू0 57700/-नियत वेतन पर विश्वविद्यालय व परिसर संस्थानों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विगत में कार्य परिषद द्वारा नियमानुसार निर्धारित चयन समिति की संस्तुति के अनुसार मेरिट लिस्ट से किये जाने पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-19.06-

माह दिसम्बर 2023 से आतिथि तक विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 पूर्ण कर चुके 11 शोधार्थियों की विषयवार सूची संलग्न कर विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालित पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थी माह दिसम्बर 2023 से आतिथि तक पी0एच0डी0 पूर्ण कर चुके 11 शोधार्थियों को पी.एच. डी. हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-5)

बिन्दु सं०-19.07-

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी०एच०डी० पाठ्यक्रम के अंग्रेजी एवं विधि विषयों में एस०सी०आई० जर्नल पेपर की बाध्यता को हटाये जाने के संबंध में प्रस्ताव मा० विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी०एच०डी० पाठ्यक्रम के अंग्रेजी एवं विधि विषयों में पी०एच०डी० आर्डिनेंस 2020 के नियमानुसार एस०सी०आई० जर्नल पेपर की बाध्यता को हटाये जाने हेतु प्रस्तावित, चूंकि उक्त विषयों में एस०सी०आई० जर्नल पेपर या तो है ही नहीं और यदि है तो बहुत ही सीमित शीर्षको में उपलब्ध है पर विचारोपरान्त मा० विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण का विशेषज्ञों की समिति से परीक्षण कराकर संस्तुतियों के साथ आगामी विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु सं०-19.08-

विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित 1 वर्षीय एल०एल०एम० पाठ्यक्रम को दो वर्षीय एल०एल०एम० पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव मा० विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित 1 वर्षीय एल०एल०एम० पाठ्यक्रम को यू०जी०सी० के प्राविधानानुसार दो वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किये के संबंध में विधि संस्थानों के साथ प्रकरण पर संपन्न बैठक के कार्यवृत्त माननीय विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये गये। चर्चा उपरांत मा० विद्या परिषद द्वारा समस्त एक वर्षीय एल.एल.एम. पाठ्यक्रमों को विधि संस्थानों के निदेशकों के साथ संपन्न बैठक इस हेतु अर्हता पूर्ण न करने के दृष्टिगत एल.एल.एम. को दो वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-6)

बिन्दु सं०-19.09-

विश्वविद्यालय में PG Diploma in Cyber Security तथा B.Tech Cyber Security को Organizations/Industry/Field Experts के Collaboration से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय-

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में साईबर क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ मिलकर PG Diploma in Cyber Security तथा विश्वविद्यालय में संचालित B.Tech Cyber Security का द्वितीय वर्ष से चौथे वर्ष तक के कतिपय विषयों को Field Experts से अध्यापन के सम्बन्ध में वित्त समिति के निर्देशानुसार गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार PG Diploma in Cyber Security को Crane varsity के साथ एवं B.Tech Cyber Security को CMAI, New Delhi के साथ मिलकर वित्त समिति द्वारा अनुमोदित व्यवस्था अनुसार संचालित करने पर माननीय विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था एवं भविष्य में इसका आवश्यकता अनुसार संचालन परिमार्जित करने हेतु अधिकृत किया गया था। किन्तु उक्त संस्थाओं Crane varsity तथा CMAI, New Delhi द्वारा बार-बार ई-मेल से संपर्क स्थापित किये जाने पर सन्दर्भित पाठ्यक्रम मिलकर संचालित करने से मना कर दिया गया है। अतः चिन्हित संस्थाओं के साथ मिलकर अध्यापन न होने की दशा में उन्ही शर्तों पर अन्य उपयुक्त संस्था से अनुमोदनानुसार

कार्यवाही किये जाने पर मा0 विद्या परिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गयी जिस पर डॉ विशाल रमोला कोर्डिनेटर एफ0ओ0टी0 द्वारा विद्या परिषद् को अवगत कराया गया है कि अन्य कम्पनियों से बातचीत चल रही है। Crane varsity व CMAI, New Delhi के स्थान पर चिन्हित नई संस्थाओं के साथ मिलकर पूर्व की अनुमोदित शर्तों के अनुसार संचालित करने पर मा0 विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-19.10-

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन नई टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एवं वेलनेस टूरिज्म से सम्बन्धित डिप्लोमा कोर्स के संबंध में प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

मा0 विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन नई टिहरी, सोसायटी के प्रशासक मण्डल (BOG) की 8वीं वार्षिक बैठक दिनांक:-10/10/2023 के बिन्दु संख्या:-04 में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में डिप्लोमा कोर्स वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एवं वेलनेस टूरिज्म से सम्बन्धित कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना है। जिसका औचित्य उत्तराखण्ड में पर्यटन के बढ़ते व्यवसाय के दृष्टिगत नौजवानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल विकास को प्रमाणित किया जाना है। प्रशासक मण्डल (BOG) के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्वसहमति से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, नई टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एवं वेलनेस टूरिज्म से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को तैयार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः उपरोक्त के क्रम में संस्थान स्तर से वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एवं वेलनेस टूरिज्म पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव (1) Diploma Course In Adventure Tourism एवं (2) Diploma Course In Wellness Tourism को माननीय विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। चर्चा के उपरांत विद्या परिषद् द्वारा संस्थान को समस्त तैयारी पूर्ण कराते हुये 30 सीट प्रति पाठ्यक्रम के साथ संचालित करने की स्वीकृति दी गयी। इस हेतु पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की होटल मैनेजमेंट की BOS द्वारा तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य विषय विशेषज्ञ विश्वविद्यालय द्वारा नामित किये जायेंगे। इसके बाद इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के नियम, पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या को स्वीकृति हेतु संस्थान स्तर से प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(संलग्नक-7)

बिन्दु सं0-19.11-

शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान एवं समस्त सम्बद्ध निजी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया की सूचना का प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

मा0 विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एकल खिड़की प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय व इसके परिसर संस्थान एवं समस्त सम्बद्ध निजी संस्थानों में संचालित तकनीकी, फार्मैसी, विधि, होटल मैनेजमेंट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया विगत शैक्षिक सत्र 2023-24 की भाँति ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण की जानी है जिसमें

विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन व प्रवेश काउंसलिंग की व्यवस्था विगत 2023-24 सत्र में अपनाई गयी प्रक्रिया अनुसार की गयी है। अतः सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा विगत सत्र 2023-24 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया एकल खिड़की व्यवस्था से कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-19.12-

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थान रूड़की कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रूड़की एवं रूड़की इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की में एम0 टेक0 पाठ्यक्रम 2020-2022 में अध्ययनरत 10 छात्रों की समयावधि आर्डिनेंस के अनुसार बढ़ाये जाने का प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

मा0 विद्या परिषद द्वारा संज्ञान में लिया गया कि उक्त संस्थानों द्वारा प्रकरण को समय पर विश्वविद्यालय विद्या परिषद में प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्या परिषद में प्रकरण पर गहन चर्चा की गयी। प्रभावी एम.टैक. आर्डिनेन्स के बिन्दु 4.2 के अनुसार निर्दिष्ट है कि "Maximum Time allowed for a candidate admitted in M.Tech for completing M.Tech is 3 years may be relaxed upto 4 years on genuine reason by Academic Council." इस क्रम में मा0 विद्या परिषद द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षण कर औचित्यपूर्ण कारण न उपलब्ध होने और निर्धारित समयावधि बीत जाने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरणों पर अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-19.13-

पी0एच0डी0, एम0टेक, एम0फॉर्मा एवं एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम की Anti Plagiarism Software Turnitin के स्थान पर Drill Bit Plagiarism Detection software लागू किये जाने के संबंध में प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्या परिषद की अष्टम् बैठक के बिन्दु संख्या-14 में निर्णय लिया गया था कि पी0एच0डी0, एम0टेक एवं एम0फॉर्मा पाठ्यक्रम की Anti Plagiarism Software Turnitin से चेक किया जा रहा था। संबंधित सॉफ्टवेयर दिनांक 10.04.2024 को समाप्त हो गया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा Turnitin की टीम से ईमेल के माध्यम से सम्पर्क किया गया है, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यदि विश्वविद्यालय एवं 06 कैम्पस संस्थानों हेतु TurnitinSoftware एक वर्ष हेतु रू0 3700000/- (सैतीस लाख मात्र) वहन करना होगा। जब कि पूर्व के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय, कैम्पस संस्थान एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों को TurnitinSoftware का लॉगिन प्रदान किया जाता है तो एक वर्ष हेतु रू0 1,2300000/- (रू0 एक करोड़ तेइसलाख) विश्वविद्यालय वहन किया जाना होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देश क्रम में पी0एच0डी0 थीसिस एवं रिसर्च आर्टिकलस के लिए Drill Bit Plagiarism Detection software/ShodhShuddhiके माध्यम से पी0एच0डी0 हेतु आवंटित किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य एल0एल0एम0, एम0टेक एवं एम0फार्मा की थिसिस हेतु अलग

से Drill Bit Plagiarism Detection software One Admin and 30 user accounts 5000 Document submission 1 year Annual subscription cloud Based Anti Plagiarism Software Service GST सहित रू0 413000/- (रू0 चार लाख तेरह हजार) का वहन करना होगा। उपरोक्त के दृष्टिगत Anti Plagiarism Software Turnitin की कीमत अधिक होने के कारण उसके स्थान पर Drill Bit Plagiarism Detection software खरीदें/लागू किये जाने जिसे आवश्यकतानुसार संख्या को बढ़वाया जा सकेगा। उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

बिन्दु संख्या:-19.14

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2024-25 से स्ववित्त पोषित स्वरूप में द्विवर्षीय एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम संचालन किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2024-25 से स्ववित्त पोषित स्वरूप में द्विवर्षीय एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम संचालन किये जाने का प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर अन्य पी0जी0 पाठ्यक्रम की भाँति एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कक्षा, कक्षाओं व अन्य आधारभूत सुविधाओं फैंक्लटी आदि की नियमानुसार व्यवस्था करने एवं फैंकल्टी ऑफ लॉ को स्थापित करते हुए इसके अन्तर्गत इसे प्रारंभ किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति मा0 विद्या परिषद द्वारा प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष/कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या- 19.15(1)

होटल मैनेजमेंट के बी0एच0एम0सी0टी0 में MOOCA आधारित विषयों को हटा कर उन्हें नियमित विषय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय से समस्त सम्बद्ध संस्थानों में होटल मैनेजमेंट के बी0एच0एम0सी0टी0 पाठ्यक्रम में MOOCS आधारित विषयों को हटा कर उन्हें नियमित विषय के रूप में संचालित करने हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस हेतु होटल मैनेजमेंट की BOS के स्तर से वांछित संशोधन व सिलेबस आदि तैयार कराकर इसे तत्काल प्रभाव से (2022-23 प्रवेशित बैच सहित) प्रभावी करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।





बिन्दु संख्या- 19.15(2)

विश्वविद्यालय के एकेडमिक कलैण्डर सत्र 2024-25 जो परीक्षा समिति से अनुमोदित को मा0 विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित एकेडमिक कलैण्डर सत्र 2024-25 पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया तथा इसमें अपरिहार्य परिस्थिति में समय-समय पर परिवर्तन किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है। (संलग्नक-8)


(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव
सदस्य सचिव


(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति
अध्यक्ष

बीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 06.05.2024 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 37 वीं बैठक का कार्यवृत्त:

बीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की परीक्षा समिति की दिनांक 06 मई, 2024 को सम्पन्न 37वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1.	प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि० भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
2.	डॉ० एच०एल० मंदोरिया, निदेशक, डॉ०ए०पी०जे०ए०के०आई०टी, टनकपुर	सदस्य (आनलाइन)
3.	डॉ०, एम०के० पाण्डा, निदेशक, डब्ल्यू०आई०टी०, देहरादून	सदस्य
4.	डॉ० संजय गैरोला, प्रोफेसर, ई०ई०डी०, जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी	सदस्य (आनलाइन)
5.	डॉ० आशीष नेगी, प्रोफेसर, सी०एस०ए०, जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी	सदस्य
6.	डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम०ई०डी०, बी०टी०के०आई०टी, अल्मोड़ा	सदस्य
7.	डॉ० अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी०एस०ई०, बी०टी०के०आई०टी, अल्मोड़ा	सदस्य
8.	डॉ० गजेन्द्र सिंह, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य (आनलाइन)
9.	कुलसचिव, वी०मा०सि० भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि० भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि० भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य

परीक्षा समिति की बैठक में डॉ० पी०सी० गोप, प्रोफेसर, एम०ई०डी०, सी०ओ०टी०, जी०बी०पी०आई०टी०, पन्तनगर अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मा० कुलपति महोदय/अध्यक्ष, परीक्षा समिति सहित समिति के सभी सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु संख्या-37-01

परीक्षा समिति की 36 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 36 वीं बैठक दिनांक 29.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-37-02-

परीक्षा समिति की 36 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 36 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु संख्या-37-03-

सुश्री जसलीन कौर बी०फार्म की छात्रा के चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के उपरान्त यू०टी०यू में स्थानान्तरण के फलस्वरूप चतुर्थ वर्ष के परीक्षाफल के उपरान्त मार्कसीट तथा छात्रा की प्रथम वर्ष के परीक्षाफल को सम्मिलित करने संबंधी।

विनिश्चय-

बैठक में अवगत कराया गया है कि विगत में सुश्री जसलीन कौर बी०फार्म की छात्रा के चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होने के बाद द्वितीय वर्ष में स्थानान्तरण वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ० विश्वविद्यालय में किया गया था। विश्वविद्यालय में बी०फार्मा पाठ्यक्रम के ग्रेडिंग सिस्टम में होने के कारण चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष के ग्रेडिंग को यथावत्

XBpm
06/05/2024

LOS

सम्मिलित करते हुए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ की अंकतालिका ग्रेडिंग आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की गयी। परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण में अंकतालिका सहित कृत कार्यवाही पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-37-04

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय लॉ संस्थानों में अध्ययनरत कतिपय छात्रों के आन्तरिक अंक (Sessional Marks) अपडेट किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय लॉ संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों द्वारा किसी कारणवश सेमेस्टर परीक्षा छोड़ने के कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया था। प्रकरण में संशय की स्थिति पैदा होने के दृष्टिगत परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी सेमेस्टर में संबंधित संस्थानों के छात्रों द्वारा बैंक परीक्षा के रूप में फॉर्म भरे एवं परन्तु पोर्टल में आन्तरिक अंक पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण संबंधित संस्थानों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत आन्तरिक अंक (Sessional Marks) के समस्त पहलुओं जैसे-आन्तरिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, उपस्थिति, आन्तरिक परीक्षा कब सम्पन्न हुई आदि की विस्तृत जांच हेतु जांच कमेटी गठित किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है एवं जांचोपरान्त सम्पूर्ण विवरण आगामी परीक्षा समिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु संख्या-37-05

छात्रों के लिए मॉडल समाधान मूल्यांकन प्रदर्शन हेतु अनुमोदन।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवत्ता सुधार के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा मॉडल सॉल्यूशन तैयार कराने के बाद ही इसके आधार पर मूल्यांकन कराने एवं इसको मूल्यांकन के पश्चात पारदर्शिता हेतु छात्रों का प्रदर्शित किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा छात्रहित में अच्छा कदम बताते हुए सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-37-06-

विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर-जनवरी 2023-24 में अनुचित साधन में पकड़े गये छात्रों के निस्तारण के जाने पर विचार एवं निर्णयार्थ।

X/S/Bar
06/05/2024

10

02/10

विनिश्चय-

बैठक में विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर-जनवरी 2023-24 में रेगुलर, एवं बैक पेपर, परीक्षा में अनुचित साधन में पकड़े गये 79 छात्रों के निस्तारण के उपरान्त कृत कार्यवाही पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। सत्र दिसम्बर-जनवरी 2023-24 हेतु अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणों पर कार्यवाही संबंधी विवरण निम्नवत् है:-

TYPE	NO of Students	DECISION
Category A	16	Warning will be issued to the candidate not to repeat in future. If repeated, CONCERNED PAPER will be awarded ZERO marks or "F" grade.
Category B	39	Cancellation of result of CONCERNED PAPER and will be awarded ZERO marks or "F" grade in that paper.
Category C	24	Cancellation of result of CONCERNED PAPER and two other paper in which the candidate has secured the minimum marks percentage among the rest of the papers except the paper in which candidate has UFM. That is total three Paper will be awarded ZERO marks or "F" grade.

बिन्दु संख्या-37-07-

परीक्षा संबंधी भुगतान की कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर-2022-23, समर सेमेस्टर-2022-23, स्पेशल बैक पेपर-2022-23 एवं विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर-जनवरी, 2023-24 के पेपर सैटर के समस्त बिलों के भुगतान तथा विषम सेमेस्टर-2022-23 के मूल्यांकन कर्ताओं के कुल 172 देयकों के किये गये भुगतान पर संतोष व्यक्त करते हुए सम सेमेस्टर -2022-23 के आवेदित 70 देयकों एवं विषम सेमेस्टर 2023-24 के देयकों व तथा उड़ने दस्तें आदि के देयकों के भुगतान पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

बिन्दुसंख्या-36-08-

विहाइव कालेज ऑफ इंजी0 एवं बिहाइव कालेज ऑफ मैनेजमैन्ट, देहरादून की सेमेस्टर परीक्षा कराये जाने के जाने पर विचार एवं निर्णयार्थ।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि BEEHIVE COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY एवं BEEHIVE COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DEHRADUN की सत्र 2022-23 से अस्थायी सम्बद्धता विस्तारित न होने के कारण संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा इस संस्थान से न कराये जाने पर नियमानुसार निर्णय लिया जाये तथा सम्बद्धता के अभाव में संस्थान से परीक्षा न कराये जाने पर संबंधित संस्थान को सूचित किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

बिन्दु संख्या-37-09-

विषम सेमेस्टर-2023-24 की परीक्षाओं, मूल्यांकन व परीक्षाफल घोषित होने की सूचना।

विनिश्चय-

बैठक में परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर सत्र 2023-24 की परीक्षाये सुचारु रूप से माह दिसम्बर, 2023

3/10
05/05/2024

10

में प्रारम्भ करते हुए माह जनवरी, 2024 में समाप्त हुई। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनस्कीन मूल्यांकन के उपरान्त परीक्षाफल घोषित किये जा चुके हैं। परीक्षा समिति द्वारा संदर्भित परीक्षा संचालन, मूल्यांकन व परीक्षाफल के संबंध में की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-37-10-

सम सेमेस्टर 2023-24 परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण की सूचना।

विनिश्चय-

बैठक में परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर 2023-24 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है,। विगत में निर्णय लिया गया था कि जिन संस्थानों में 40 प्रतिशत से कम छात्रों का प्रवेश हुआ उन संस्थानों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय, परन्तु इसमें कतिपय व्यावहारिक कठिनाईयां हैं। जैसे संस्थानों में कम्प्यूटर साइंस शाखा को छोड़कर अन्य शाखाओं में बहुत कम छात्रों को प्रवेश हुए हैं। संस्थानों में प्रवेशित छात्रों की संख्या कम होने के छात्र/ परीक्षा शुचिता हित में विगत के निर्णय को व्यावहारिकता के दृष्टिगत शिथिलता बरतते हुए 25 किमी० से दूरी अधिक होने छात्रों की कठिनाईयां, आदि पर विचार करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। INSTITUTE OF HOSPITALITY MGT AND SCIENCES, KOTDWAR में एम०बी०ए० पाठ्यक्रम में दो छात्र प्रवेशित होने तथा कोई संस्था पास में न होने व DOON INST. OF ENGG. & TECHNOLOGY RISHIKESH की किसी भी सम्भावित परीक्षा केन्द्र से अधिक दूरी होने तथा चार धाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय नियंत्रणाधीन परीक्षा केन्द्र बनाने पर सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उक्त दोनो परीक्षा केन्द्रों पर सी०एस० एवं पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त करते हुए यह परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन रहेंगे, जिससे परीक्षा सुचारु रूप सम्पन्न हो सके। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रश्न पत्र निर्माण, केन्द्र निर्धारण, मॉडरेशन, परीक्षकों/पर्यवेक्षकों /केन्द्र अधीक्षक/उड़ने दस्तें/ मूल्यांकनकर्ताओं /प्रधान परीक्षकों/उप प्रधान परीक्षकों आदि की तैनाती हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या-37-11-

विश्वविद्यालय द्वारा सम सेमेस्टर-2023-24 में पास आउट छात्रों हेतु स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराये जाने पर विचार।

विनिश्चय-

वर्तमान सत्र 2023-24 के अन्तिम वर्ष पास आउट होने वाले छात्रों की स्पेशल परीक्षा अन्तिम सेमेस्टर/वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त पूर्व

की भॉति सत्र 2023-24 के पास आउट छात्रों हेतु अगस्त-सितम्बर, 2024 में कराये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-37-12-

समर सेमेस्टर परीक्षा ऑर्डिनेन्स के अनुसार कराये जाने के संबंध में विचार ।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय में प्रभावी आर्डिनेन्स के अनुसार विगत की भॉति इस सत्र के भी समर सेमेस्टर संचालन व परीक्षा की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

बिन्दु संख्या-37-13-

होटल मैनेजमेंट में कतिपय MOOCS Course को नियमित विषय के रूप में अध्यापित कराये जाने के संबंध में विचार।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा संज्ञान लिया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होटल मैनेजमेंट संस्थानों में संचालित BHMCT पाठ्यक्रम में कतिपय विषयों को MOOCS से अध्यापित कराया जाना निर्धारित है। इस प्रकार यह MOOCS Course नियमित विषय के रूप में अध्यापित नहीं है, जिसके कारण इनके परीक्षाफल लम्बित रहते हैं और विषम सेमेस्टर 2023-24 के अद्यतन बड़ी संख्या में परीक्षाफल रुके हुए हैं। समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त शुचिता व छात्रों के शैक्षणिक हित में निर्देश दिये गये हैं कि BHMCT के संदर्भित MOOCS Course को सत्र 2024-25 से संस्था स्तर से नियमित कक्षाओं में अध्यापित कराते हुए सम्पन्न किया जाय एवं इसे विद्या परिषद् में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या-37-14-

विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षा-2024-25 आयोजित कराये जाने पर विचार एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षा-2024-25 माह जून-जुलाई, 2024 में कराये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-37-15-

विश्वविद्यालय से भुगतान होने वाले मानेदय मे से 02 प्रतिशत की कटौती कर विश्वविद्यालय निधि में जमा कराये जाने की सूचना।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2018 के प्राविधान 4.09 (2) के अनुसार विश्वविद्यालय से भुगतान होने वाले किसी भी प्रकार के परीक्षा संबंधी भुगतान के मानेदय पर 02 प्रतिशत कटौती कर इसे विश्वविद्यालय निधि में जमा करना प्रारम्भ किये जाने का संज्ञान लेते हुए की जा रही कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-37-16-

लॉ पाठ्यक्रम के कतिपय छात्रों को स्पेशल बैक पेपर परीक्षा-2022-23 घोषित किये जाने संबंधी।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये। विश्वविद्यालय द्वारा स्पेशल बैक पेपर 2022-23 की परीक्षा सम्पादित की गयी है। सम्बद्ध विधि

XBam
06/05/2024

13

05/10

संस्थानों के कतिपय छात्रों का परीक्षाफल निर्धारित समय सीमा LLB 05 वर्ष एवं BBA/LLB/BALLB के 07 वर्ष पूर्ण होने के कारण रोक दिया गया था। विश्वविद्यालय में पूर्व प्रचलित ऑडिनेन्स में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-

COMPLETION OF THE COURSE

A candidate can complete LL.B (Three Year) Course in a maximum period of Five years and a double degree 5 years integrated programme in a maximum period of Seven years. In case a student fails to complete the course within the above stipulated period, he/she shall have to re-register him/her name in the course afresh if permitted under the rules. However the **Vice-Chancellor reserves the right to extend such period for another one year in rare and deserving cases.**

संबंधित छात्रों के रो0न0 निम्नवत् है:-

150901401020, 151401402007, 151291402131, 141291402080, 171221400012, 170901400076, 170901400039, 170281400055, 160901400076, 171511400024, 171511400017, 171401400062, 171401400041, 171401400006

परीक्षा समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रकरण पर छात्रवार परीक्षण करने के उपरान्त औचित्यानुसार मा0 कुलपति के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

बिन्दु संख्या-37-17-

विषम सेमेस्टर 2023-24, बैंक पेपर, भूतपूर्व छात्र परीक्षा बण्डल में त्रुटिया पाये जाने संबंधी।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर 2023-24, बैंक पेपर, भूतपूर्व छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं में 05 संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई उत्तर पुस्तिका बण्डलों में त्रुटिया पाये जाने को गंभीरता से लेते हुए समस्त पहलुओं पर विचार किया।

B.S.M. COLLEGE OF ENGINEERING, ROORKEE	ILA103	परीक्षा दिनांक 15.12.2023 हुई है। जिस बण्डल में उत्तर पुस्तिका 43 है जबकि ऑनलाईन उपस्थिति प्रपत्र में दर्शायी गई उसमें 41 छात्रों की उपस्थिति अंकित है। दो रोल नं0 231291801027, 231291801036 की उत्तर पुस्तिका 3318036, 3318017 अधिक है।
ROORKEE COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE	BP101T	परीक्षा दिनांक 11.12.2023 हुई है। जिस बण्डल में उत्तर पुस्तिका 25 है जबकि ऑनलाईन उपस्थिति प्रपत्र में दर्शायी गई 24 उपस्थिति अंकित है। रोल नं0 200250300060 की उत्तर पुस्तिका नं0 3257241 अधिक है।
INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE, ROORKEE	BCET501	परीक्षा दिनांक 11.12.2023 हुई है। जिस बण्डल में उत्तर पुस्तिका 12 है जबकि ऑनलाईन उपस्थिति प्रपत्र में दर्शायी गई 11 छात्रों की उपस्थिति अंकित है। रोल नं0 710590107015 की उत्तर पुस्तिका नं0 3128298 अधिक है।
PHONICS GROUP OF INSTITUTIONS	BAST301	परीक्षा दिनांक 12.12.2023 हुई है। जिस बण्डल में उत्तर पुस्तिका 06 है जबकि ऑफलाईन उपस्थिति प्रपत्र में दर्शायी गई 07 छात्रों की उपस्थिति अंकित है। रोल नं0 190570104007 की उत्तर पुस्तिका नं0 3206173 उपलब्ध नहीं है।
PHONICS GROUP OF INSTITUTIONS	BCST501	परीक्षा दिनांक 11.12.2023 हुई है। जिस बण्डल में उत्तर पुस्तिका 12 है जबकि ऑनलाईन उपस्थिति प्रपत्र में दर्शायी गई 11 छात्रों की उपस्थिति अंकित है। रोल नं0 200570101020 की उत्तर पुस्तिका नं0 3200415 अधिक है।

06/10

06/05/2024

14